जीएसटी

माल एवं सेवा कर

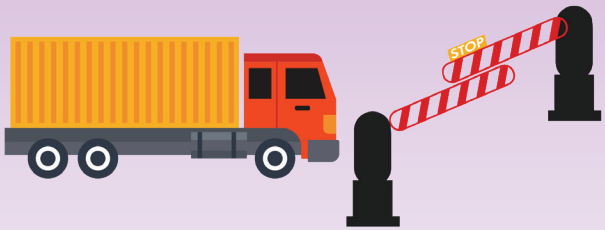

डाउनलोड करने के लिए कृपया स्कैन करें

प्रकाशक
करदाता सेवा महानिदेशालय,
केंद्रीय राजस्व भवन, नयी दिल्ली–110109

हमें फॉलो करें:

@cbic_india

@cbicindia

@cbic

@cbicindia

@CBIC INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Ministry of Finance
Government of India

G20 भारत 2023 INDIA

जीएसटी

माल एवं सेवा कर

इलेक्ट्रॉनिक वे बिल

(नवंबर 2023 की स्थिति अनुसार अद्यतन)

करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbic.gov.in

इलेक्ट्रॉनिक वे बिल

परिचयः

ई–वे बिल माल की आवाजाही के लिए अपेक्षित दस्तावेज है और इसमें माल भेजने वाले व्यक्ति का नाम, माल पाने वाले व्यक्ति का नाम, ट्रांसपोर्टर का नाम, माल की आवाजाही का मूल स्थान और उसके गंतव्य स्थान जैसे विवरण शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई–वे बिल) मूल रूप से एक अनुपालन तंत्र है जिसमें माल की आवाजाही करने वाला व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू होने से पहले डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर संगत जानकारी अपलोड करता है और ई–वे बिल जनरेट करता है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार एक विनिर्दिष्ट राशि से अधिक के मूल्य के माल की खेप ले जा रहे किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति को यथा निर्धारित दस्तावेजों और उपकरणों को उसके साथ रखना आवश्यक कर सकती है। सीजीएसटी नियमवाली, 2017 का नियम 138 ई–वे बिल तंत्र का प्रावधान करता है और इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "माल की आवाजाही शुरू होने से पहले सूचना प्रस्तुत की जानी है" और "सूचना इस संबंध में दी जानी है कि क्या आवाजाही आपूर्ति से संबंधित है, या आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से संबंधित है"।

ई–वे बिल तंत्र माल की तेज आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, ट्रकों के टर्नअराउंड समय में सुधार करता है और यात्रा की औसत दूरी को बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स उद्योग की सहायता करता है। इसके कारण यात्रा के समय के साथ–साथ लागत में भी कमी आती है। इसके अलावा, भौतिक इंटरफेस के स्थान पर डिजिटल इंटरफेस का आरंभ होने के परिणामस्वरूप राज्य सीमा चेक पोस्टें समाप्त हो जाती हैं। विभाग के दृष्टिकोण से, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि माल को जीएसटी कानून का अनुपालन करते हुए ले जाया जा रहा है, माल की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और कर चोरी की रोकथाम हो रही है।

माल की अंतरराज्यीय आपूर्तियों के संबंध में ई–वे बिल के प्रावधानों को 1 अप्रैल, 2018 से पूरे भारत में लागू किया गया था। माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए अलग–अलग राज्यों ने अलग–अलग समय पर ई–वे बिल पेश किया था। हालांकि, सभी राज्यों ने 16 जून, 2018 तक ई–वे बिल पेश कर दिया है।

जीएसटी के तहत ई–वे बिलः

ई–वे बिल (GST EWB-01 फॉर्म) एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता/ट्रांसपोर्टर के लिए उपलब्ध) है, जो कॉमन पोर्टल पर जनरेट किया जाता है, जिससे ₹ 50,000/– से अधिक के खेप मूल्य के माल की आवाजाही प्रमाणित होती है। इसके दो घटक हैं– भाग । जिसमें आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन का विवरण, डिलीवरी का स्थान (जिसमें पिन कोड भी दर्शाया जाता है), दस्तावेज (कर इनवॉइस, आपूर्ति का बिल, डिलीवरी चालान या बिल ऑफ एंट्री) संख्या और दिनांक, माल का मूल्य, एचएसएन कोड और माल की आवाजाही के कारण शामिल हैं, और दूसरा भाग–ख, जिसमें आवाजाही के विवरण – परिवहन दस्तावेज संख्या (माल रसीद संख्या या रेलवे रसीद संख्या या एयरवे बिल संख्या या ढुलाई बिल संख्या) और सड़क परिवहन के लिए वाहन संख्या शामिल हैं।

खेप मूल्यः सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित, माल का खेप मूल्य, वह मूल्य होगा, जो कि उक्त खेप के संबंध में जारी किये गये इनवॉइस, आपूर्ति बिल या डिलीवरी चालान, जैसा भी मामला हो, में घोषित किया गया है, और इसमें दस्तावेज के तहत प्रभारित किया गया केंद्रीय कर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर, एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो, भी शामिल है। माल की छूट प्राप्त और कर योग्य आपूर्ति, दोनों के संबंध में इनवॉइस जारी किये जाने की स्थिति में माल की छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य इसमें शामिल नहीं होगा।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ 50,000/– से अधिक के खेप मूल्य के माल की आवाजाही (जो आपूर्ति के कारण की जानी आवश्यक नहीं है) करता है, को ई–वे बिल के भाग–क में उपर्युक्त जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। भाग–ख जिसमें परिवहन का विवरण शामिल है, ई–वे बिल जनरेट करने में मदद करता है। हालांकि, ध्यान दें कि ई–वे बिल जनरेट किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे खेप का मूल्य रु 50,000/– से कम ही क्यों न हो।

कॉमन पोर्टलः इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलय रजिस्ट्रेशन, भुगतान, रिटर्न दाखिल करने आदि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जीएसटी कॉमन पोर्टल से अलग है। इसका पता www.ewaybillgst.gov-in है। जीएसटी के तहत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को GSTIN का उपयोग करके ई–वे बिल के पोर्टल www.ewaybillgst.gov-in पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। GSTIN दर्ज करने के बाद, सिस्टम जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है और इसे प्रमाणित किये जाने पर, सिस्टम करदाता को ई–वे बिल सिस्टम के लिए उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड जनरेट करने में सक्षम करता है। उपयोगकर्ता का नाम और पसंद का पासवर्ड जनरेट होने के बाद, करदाता ई–वे बिल जनरेट करने के लिए प्रविष्टियां कर सकता है। ऐसे ट्रांसपोर्टर, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही करते हैं, को ई–वे बिल पोर्टल पर नामांकन करना और 15 अंकों की विशिष्ट ट्रांसपोर्टर आईडी प्राप्त करना आवश्यक है।

ई–वे बिल किसे जनरेट करना चाहिए और क्यों?

यदि आवाजाही स्वयं के/किराए के वाहन में या रेलवे, वायु या जलयान द्वारा की जा रही है, तो ई–वे बिल माल भेजने वाले या माल पाने वाले द्वारा स्वयं जनरेट किया जाएगा। यदि माल सड़क मार्ग से परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया जाता है, तो ट्रांसपोर्टर द्वारा ई–वे बिल जनरेट किया जाएगा, और यद्यपि भाग–ख ट्रांसपोर्टर द्वारा अपडेट किया जाएगा, भाग–क के विवरण पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं। माल भेजने वाले/माल प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राधिकार प्राप्त कर ट्रांसपोर्टर भी भाग–क जनरेट कर सकता है। इसके अलावा, यदि माल को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर माल भेजने वाले व्यक्ति के व्यवसाय के स्थान से ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय के स्थान तक आगे के परिवहन के लिए 50 किलोमीटर तक की दूरी तक ले जाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता या ट्रांसपोर्टर, जैसा भी मामला हो, GST EWB-01 फॉर्म के भाग–ख में वाहन का विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा।

आगे, यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य में स्थित मूल करदाता द्वारा किसी अन्य राज्य में स्थित जॉब–वर्कर को माल भेजा जाता है, तो ई–वे बिल या तो मूल करदाता, या जॉब वर्कर, यदि पंजीकृत हो, द्वारा जनरेट किया जाएगा, चाहे खेप का मूल्य कुछ भी हो। साथ ही, हस्तशिल्प वस्तुओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने की स्थिति में, जिसे पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गयी है, ई–वे बिल उक्त व्यक्ति द्वारा जनरेट किया जाएगा, चाहे खेप का मूल्य कुछ भी हो।

आगे, हस्तशिल्प वस्तुओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने की स्थिति में, जिसे पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गयी है, ई–वे बिल उक्त व्यक्ति द्वारा जनरेट किया जाएगा, चाहे खेप का मूल्य कुछ भी हो।

इसे कैसे जनरेट किया जाता है?

ई–वे बिल में दो भाग होते हैं– भाग–क उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो ₹ 50,000/– से अधिक के खेप मूल्य के माल की आवाजाही कर रहा है, और भाग–ख (परिवहन विवरण) उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो माल को ले जा रहा है। यदि माल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कंसाइनर या प्राप्तकर्ता के रूप में ले जाया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को जीएसटी ई–वे पोर्टल पर भाग–ख में जानकारी प्रस्तुत करके ई–वे बिल जनरेट करना होगा। पंजीकृत व्यक्ति से प्राधिकार प्राप्त कर ट्रांसपोर्टर भाग–क भी प्रस्तुत कर सकता है।

पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा GST INV-1 फॉर्म में जारी किये गये कर इनवॉइस को कॉमन पोर्टल पर अपलोड करके एक चालान संदर्भ संख्या प्राप्त कर सकता है, और इसे सत्यापन के लिए कर इनवॉइस के बदले उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।

उपरोक्त मामले में, पंजीकृत व्यक्ति को ई–वे बिल जनरेट करने के लिए GST EWB&01 फॉर्म के भाग–क में जानकारी अपलोड नहीं करनी होगी और यह जानकारी GST INV-1 फॉर्म में प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर कॉमन पोर्टल द्वारा स्वतः भरी जाएगी।

कॉमन पोर्टल पर ई–वे बिल जनरेट होने पर, कॉमन पोर्टल द्वारा जनरेट किया गया एक विशिष्ट 12–अंकीय ई–वे बिल नंबर (EBN) आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जनरेट किये गये ई–वे बिल का विवरण, कॉमन पोर्टल पर, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, यदि वह पंजीकृत है, और वह ई–वे बिल में वर्णित खेप के संबंध में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देगा। यदि प्राप्तकर्ता कॉमन पोर्टल पर विवरण उपलब्ध कराए जाने के बहत्तर घंटे के भीतर अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त विवरण को स्वीकार कर लिया है।

ई–वे बिल की वैधताः ई–वे बिल की वैधता माल द्वारा तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करती है। नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो (ODC) के मामले में, 200 किमी से कम की दूरी के लिए ई–वे बिल संगत तिथि से एक दिन के लिए वैध होगा। इसके बाद प्रत्येक 200 किमी या इसके भाग के लिए, ई–वे बिल संगत तिथि से एक और अतिरिक्त दिन के लिए वैध होगा।

ODC या मल्टीमॉडल शिपमेंट के मामले में, कम से कम एक स्थिति में जहाज द्वारा 20 किलोमीटर से कम की दूरी तय किया जाना शामिल है, EWB संबंधित दिन से एक दिन के लिए और उसके बाद प्रत्येक 20 किलोमीटर या इसके भाग के लिए संबंधित दिन से एक और अतिरिक्त दिन के लिए वैध होगा।

"संगत तिथि" का अर्थ वह तिथि होगी जिस पर ई–वे बिल जनरेट किया गया है और वैधता की अवधि की गणना ई–वे बिल जनरेट होने के समय से की जाएगी, और प्रत्येक दिन की गणना ई–वे बिल जनरेट होने की तिथि के तुरंत बाद के दिवस की आधी रात को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में की जाएगी।

आगे, यदि ट्रांसशिपमेंट सहित अन्य असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, माल को ई–वे बिल की वैधता की अवधि के भीतर नहीं ले जाया जा सकता है, तो ट्रांसपोर्टर GST EWB-01 फॉर्म के भाग–ख में विवरण अपडेट करने के बाद वैधता अवधि को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, ई–वे बिल की वैधता समाप्त होने के समय से आठ घंटों की अवधि के भीतर ई–वे बिल की वैधता बढ़ायी जा सकती है।

आगे, उक्त अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट माल की कुछ श्रेणियों के संबंध में आयुक्त द्वारा अधिसूचना जारी कर वैधता की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

ई–वे बिल से छूटः

निम्नलिखित मामलों में ई–वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं हैः

(क) सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 (14) के अनुलग्नक में यथा निर्दिष्ट माल का परिवहन, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

क्रम सं.	माल का विवरण
1	घरेलू और गैर–घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए रसोई गैस
2	PDS के अंतर्गत बेचा जाने वाला केरोसीन तेल
3	डाक विभाग द्वारा ले जाया जाने वाला डाक बैगेज
4	प्राकृतिक या संवर्धित मोती और कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर; कीमती धातुएं और कीमती धातु से आच्छादित धातुएं (अध्याय 71)
5	आभूषण, सुनारों और चांदीकारों द्वारा निर्मित सामान और अन्य वस्तुएं (अध्याय 71)
6	मुद्रा
7	इस्तेमाल किया गया व्यक्तिगत और घरेलू सामान
8	मूंगा, मूल रूप में (0508) और जिस पर काम किया गया हो (9601)

(ख) गैर–मोटर चालित वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल;

(ग) सीमा शुल्क द्वारा निकासी के लिए बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन को ले जाया जा रहा माल;

(घ) एसजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138(14) (क) के तहत संबंधित राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर माल की आवाजाही के संबंध में;

(ङ) अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017, यथासंशोधित के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को ले जाये जाने के मामले में (तेल रहित केक को छोड़ कर);

(च) मानव उपभोग के लिए मादक शराब, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आम भाषा में पेट्रोल), प्राकृतिक गैस या विमानन टरबाइन ईंधन को ले जाये जाने के मामले में;

(छ) यदि ले जाया जा रहा माल अधिनियम की अनुसूची III के तहत आपूर्ति नहीं माना जाता है;

(ज) यदि माल – (i) सीमा शुल्क बॉन्ड के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को; अथवा एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह से अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह को, या (ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अधीन या सीमा शुल्क मुहर के साथ ले जाया जा रहा है;

(झ) यदि ले जाया जा रहा माल नेपाल या भूटान से, या नेपाल या भूटान को ले जाया जा रहा ट्रांजिट कार्गो है;

(ञ) यदि ले जाया जा रहा माल समय–समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या 07/2017- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017, और अधिसूचना संख्या 26/2017. केन्द्रीय कर (दर) के तहत कर से मुक्त है;

(ट) रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा संगठन द्वारा प्रेषक या प्रेषिती के रूप में माल का आवागमन किये जाने के मामले में;

(ठ) यदि रेल द्वारा माल का आवागमन केंद्र सरकार, किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है;

(ड) यदि खाली मालवाहक कंटेनरों को ले जाया जा रहा है;

(ढ) यदि माल को प्रेषक के व्यवसाय के स्थान से 20 किमी तक की दूरी तक, तोलने के लिए धर्मकाँटे तक ले जाया जा रहा है या धर्मकाँटे से उक्त प्रेषक के व्यवसाय के स्थान पर वापस लाया जा रहा है, इस शर्त के अधीन कि माल की आवाजाही नियम 55 के अनुसार डिलीवरी चालान सहित की जा रही है;

(ण) यदि आपूर्ति को छोड़कर अन्य कारणों से रसोई गैस की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली सिलेंडरों को ले जाया जा रहा है।

इस प्रकार, नियम 138(14) के तहत छूट प्राप्त माल और प्रविष्टियों के संबंध में ई–वे बिल जनरेट किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अधिसूचना 02/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के तहत तेल रहित केक को छोड़कर छूट प्राप्त माल की आवाजाही के लिए ई–वे बिल की आवश्यकता नहीं है। एसजीएसटी/यूटीजीएसटी नियमावली के नियम 138(14) में सूचीबद्ध छूट प्राप्त वस्तुओं की आवाजाही को भी सीजीएसटी नियमावली के तहत छूट प्रदान की जाएगी। एसजीएसटी/यूटीजीएसटी नियमावली मूल रूप से माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही से संबंधित है और सीजीएसटी नियमावली माल की अंतरराज्यीय आवाजाही से संबंधित है। माल की आवाजाही के बिना आपूर्ति होने पर भी EWB की आवश्यकता नहीं है। यह भी ध्यान दें कि EWB माल की प्रत्येक अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए आवश्यक है, यहां तक कि उन मामलों में भी जिनमें आपूर्ति अंतर्राज्यीय है।

ई–वे बिल रद्द किया जाना:

यदि इस नियमवाली के तहत कोई ई–वे बिल जनरेट किया गया है, लेकिन माल या तो ले जाया नहीं जाता है या ई–वे बिल में प्रस्तुत विवरण के अनुसार नहीं ले जाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ई–वे बिल जनरेट होने के 24 घंटों के भीतर ई–वे बिल को कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द किया जा सकता है। हालांकि सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138B के प्रावधानों के अनुसार पारगमन में सत्यापित किये जाने पर ई–वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकता है।

ई–वे बिल जनरेट करने और रद्द करने की सुविधा एसएमएस, एंड्रॉइड ऐप, एप्लिकेशन प्रोसेस इंटरफेस (एपीआई), आदि के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बारीकियां:

खेप का मूल्य ₹ 50,000/– से अधिक होने की स्थिति में ऐसी प्रत्येक खेप के लिए एक ई–वे बिल तैयार किया जाएगा। यदि एक ही वाहन में अलग–अलग मूल्यों (प्रति खेप) की कई खेपें ले जाई जाती हैं, तो ई–वे बिल केवल उन खेपों के लिए अनिवार्य रूप से जनरेट किया जाना आवश्यक होगा, जिनका मूल्य ₹ 50,000/– से अधिक हो। हालांकि यह प्रेषक/प्रेषिती/ट्रांसपोर्टर को उन एकल खेपों के लिए भी ई–वे बिल जनरेट करने से नहीं रोकता है, जिनका मूल्य प्रति खेप ₹ 50,000/– से कम है। एक ही वाहन में ले जायी जा रही कई खेपों के लिए, माल की आवाजाही शुरू होने से पहले ट्रांसपोर्टर कॉमन पोर्टल पर प्रत्येक ई–वे बिल की क्रम संख्या दर्शाते हुए एक समेकित ई–वे बिल तैयार करेगा।

यह संभव है कि एक खेप को उसके गंतव्य तक ले जाने के लिए कई वाहनों का उपयोग किया जाए, या अप्रत्याशित कारणों से खेप को मूल वाहन से अलग किसी अन्य वाहन में ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थितियों के लिए नियम यह प्रावधान करते हैं कि पारगमन के दौरान एक वाहन से दूसरे वाहन में माल स्थानांतरित करने

वाला कोई भी ट्रांसपोर्टर, इस तरह के स्थानांतरण और माल की आगे आवाजाही से पहले, कॉमन पोर्टल पर GST EWB-01 फॉर्म के पार्ट–B में, ई–वे बिल में वाहन के विवरण को अपडेट करेगा।

वाहन के प्रभारी व्यक्ति को अपने साथ इनवॉइस या आपूर्ति बिल या डिलीवरी चालान, जैसा भी मामला हो; और भौतिक रूप में या आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित तरीके से वाहन पर एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस पर मैप की गई ई–वे बिल की एक प्रति, या ई–वे बिल संख्या, अपने साथ रखने होंगे। हालांकि परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, वाहन के प्रभारी व्यक्ति को ई–वे बिल के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना आवश्यक कर सकता है:

(क) कर इनवॉइस या आपूर्ति बिल या बिल ऑफ एंट्री (आयातित माल के मामले में); या

(ख) डिलीवरी चालान, यदि माल आपूर्ति को छोड़कर अन्य कारणों से ले जाया जाता है।

यह भी ध्यान दें कि आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, ट्रांसपोर्टरों की एक श्रेणी के लिए एक विशिष्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (RFID) प्राप्त करना और उक्त डिवाइस को वाहन पर एम्बेड करवाना, और माल की आवाजाही से पहले ई–वे बिल को RFID पर मैप करवाना आवश्यक कर सकता है।

आपूर्ति या अन्य प्रयोजनों के लिए ई–वे बिल जारी किया जाना:

माल की आवाजाही चाहे आपूर्ति, या अन्य किसी प्रयोजन से की गयी हो, ई–वे बिल जारी किया जाएगा। आपूर्ति को छोड़कर अन्य कारणों से की जाने वाली आवाजाही में निर्यात/आयात, जॉब–वर्क, एसकेडी या सीकेडी, प्राप्तकर्ता ज्ञात नहीं होने, लाइन बिक्री, बिक्री रिटर्न, प्रदर्शनी या मेले, स्वयं के उपयोग के लिए, अनुमोदन के आधार पर बिक्री आदि कारण शामिल हो सकते हैं।

'बिल टू–शिप टू' लेनदेन:

बिल टू–शिप टू लेनदेन में ई–वे बिल जारी करने के मुद्दे के निपटान के लिए EWB–01 फॉर्म के भाग–क में निम्नलिखित फील्ड उपलब्ध हैं:

(क) प्रेषण का स्थान: इसमें उस स्थान का पता शामिल होता है जहां से माल प्राप्तकर्ता को भेजे जाने के लिए प्रेषित किया जाता है।

(ख) बिल टू: इसमें बिल टू पार्टी का विवरण शामिल है जिसके विकल्प के अनुसार शिप टू पार्टी के स्थान पर माल ले जाया जाना है।

(ग) शिप टू: यह पंजीकृत व्यक्ति को शिप टू पार्टी का पता दर्ज करने की अनुमति देता है, यानी वह पता जहां माल भेजा जाना है।

(घ) डिलीवरी का स्थान: इसमें उस स्थान का पता शामिल है जहां माल की डिलीवरी की जानी है, यह पता शिप–टू एड्रेस के तहत दिए गए पते से अलग हो सकता है।

इस प्रकार EWB.01 फॉर्म के भाग–क में उपरोक्त विवरण प्रदान करके "बिल टू–शिप टू" लेनदेन के लिए ई–वे बिल जनरेट किया जा सकता है। सीबीआईसी ने 23 अप्रैल, 2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है जिसे https//www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/press-release/23042018_PRESS_RELEASE_FOR_Bill_TO_SHIP_TO.pdf पर देखा जा सकता है।

आपूर्ति के किसी "बिल टू–शिप टू" मॉडल में, लेनदेन में तीन व्यक्ति शामिल होते हैं, अर्थात्:

(क) "क" वह व्यक्ति है जिसने "क" को सीधे "ग" को माल भेजने का आदेश दिया है।

(ख) "ख" वह व्यक्ति है जो "क" की ओर से सीधे "ग" को माल भेज रहा है।

(ग) "ग" माल का प्राप्तकर्ता है।

इस पूरे परिदृश्य में दो आपूर्तियां शामिल हैं और तदनुसार दो कर इनवॉइस जारी किये जाने की आवश्यकता है:

(क) इनवॉइस –1, जो "ख" द्वारा "क" को जारी किया जाएगा।

(ख) इनवॉइस –2 जो "क" द्वारा "ग" को जारी किया जाएगा।

"क" की ओर से "ख" द्वारा "ग" को माल की आवाजाही हो रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी नियमावली, 2017 के अनुसार या तो "क" या "ख" ई–वे बिल जनरेट कर सकता है लेकिन ध्यान दें कि निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार केवल एक ई–वे बिल जनरेट करना आवश्यक है:

मामला –1: यदि ई–वे बिल "ख" द्वारा जनरेट किया जाता है, तो GST EWB-01 फॉर्म के भाग–क में निम्नलिखित फील्ड भरे जाएंगे:

1	Bill From	इस फील्ड में "ख" से संबंधित विवरण दाखिल किया जाना अपेक्षित है
2	Dispatch From	यह वह स्थान है जहां से माल वास्तव में प्रेषित किया गया है। यह ख के व्यवसाय का मुख्य अथवा अतिरिक्त स्थान हो सकता है।
3	Bill To	इस फील्ड में "क" से संबंधित विवरण दाखिल किया जाना अपेक्षित है
4	Ship To	इस फील्ड में "ग" का पता दाखिल किया जाना अपेक्षित है
5	Invoice Details	इनवॉइस–1 का विवरण दाखिल किया जाना अपेक्षित है

मामला –2: यदि ई–वे बिल "क" द्वारा जनरेट किया जाता है, तो GST EWB–.01 फॉर्म के भाग–क में निम्नलिखित फील्ड भरे जाएंगे:

1	Bill From	इस फील्ड में "क" से संबंधित विवरण दाखिल किया जाना अपेक्षित है
2	Dispatch From	यह वह स्थान है जहां से माल वास्तव में प्रेषित किया गया है। यह ख के व्यवसाय का मुख्य अथवा अतिरिक्त स्थान हो सकता है।
3	Bill To	इस फील्ड में "ग" से संबंधित विवरण दाखिल किया जाना अपेक्षित है
4	Ship To	इस फील्ड में "ग" का पता दाखिल किया जाना अपेक्षित है
5	Invoice Details	इनवॉइस–2 का विवरण दाखिल किया जाना अपेक्षित है

इसके अलावा, परिवहन के साधन 'जहाज' को अब 'जहाज/सड़क सह जहाज' के रूप में अपडेट कर दिया गया है, ताकि यदि माल शुरू में सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, तो उपयोगकर्ता वाहन संख्या, और जहाज द्वारा आवाजाही के लिए लदान संख्या बिल एवं तारीख दर्ज कर सके। इससे जहाजों द्वारा आवाजाही के संबंध में ओडीसी लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और सड़क मार्ग से आवाजाही करते समय वाहन के विवरण को अपडेट करने की सुविधा प्राप्त होगी।

ट्रांसपोर्टर के गोदाम में रखे माल के संबंध में ई–वे बिल:

(क) यदि माल का प्रेषिती/प्राप्तकर्ता करदाता अपने माल को ट्रांसपोर्टर के गोदाम में रखता है, तो प्राप्तकर्ता करदाता द्वारा ट्रांसपोर्टर के गोदाम को व्यवसाय के एक अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, उक्त घोषणा में ट्रांसपोर्टर की सहमति सहित प्राप्तकर्ता करदाता द्वारा इस आशय की घोषणा किया जाना पर्याप्त होगा। यदि प्राप्तकर्ता करदाता द्वारा ट्रांसपोर्टर के गोदाम को व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया गया है, तो माल ट्रांसपोर्टर के गोदाम (प्राप्तकर्ता करदाता के व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान) तक पहुंच जाने पर ई–वे बिल के तहत परिवहन को समाप्त माना जाएगा। इसलिए ऐसे मामलों में ई–वे बिल की वैधता को उस समय अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं होगा जिस दौरान माल ट्रांसपोर्टर के गोदाम में रखा जाता है।

(ख) जब भी माल ट्रांसपोर्टर के गोदाम (यानी प्राप्तकर्ता करदाता के व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान) से प्राप्तकर्ता करदाता के व्यवसाय के स्थान पर ले जाया जाता है, तो मौजूदा राज्य–विशिष्ट ई–वे बिल नियमवाली के अनुसार, किसी भी छूट के अधीन, यदि कोई हो, एक वैध ई–वे बिल आवश्यक होगा।

रेलवे के समक्ष ई–वे बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने पर रेलवे द्वारा डिलीवरी नहीं की जाएगी:

(क) सीसीजीएसटी नियमावली के नियम 138(2A) के मद्देनजर रेलवे माल की डिलीवरी तब तक नहीं करेगा जब तक कि डिलीवरी के समय ई–वे बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता।

(ख) ई–वे बिल अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए आवश्यक है, किंतु राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए नहीं।

(ग) ई–वे बिल की आवश्यकता माल की आवाजाही एक ही राज्य में शुरू और समाप्त होने और दूसरे राज्य से गुजरने मात्र पर भी होती है।

ई–वे बिल नियमों का पालन न किये जाने के परिणाम:

यदि ई–वे बिल, जहां आवश्यक हों, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं किए जाते हैं, तो इसे नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के अनुसार, एक कराधीन व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना किसी कर योग्य माल की आवाजाही करता है (ई–वे बिल विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक है), ₹ 10,000/– के जुर्माने या इरादतन कर चोरी (जहां भी लागू हो) की राशि में से जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाये जाने योग्य होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी माल की आवाजाही करता है, या पारगमन में माल को स्टोर करता है, तो ऐसे सभी सामान और वाहन जो उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ऐसे सामान और वाहन से संबंधित दस्तावेज निरूद्ध अथवा जब्त किये जाने योग्य होंगे।

प्रवर्तन:

आयुक्त, या इस संबंध में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी माल की प्रत्येक अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय आवाजाही के संबंध में ई–वे बिल या ई–वे बिल संख्या को सत्यापित करने हेतु किसी भी वाहन को रोकने के लिए किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है।

वाहनों का भौतिक सत्यापन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत उचित अधिकारी, या इस संबंध में उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। कर अपवंचन की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर किसी अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट वाहन का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है।

निरीक्षण के 24 घंटे के भीतर पारगमन में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सारांश रिपोर्ट उचित अधिकारी द्वारा GST EWB–03 फॉर्म के भाग–क में ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और अंतिम रिपोर्ट GST EWB–03 फॉर्म के भाग–ख में इस तरह के निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर दर्ज की जाएगी।

राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में पारगमन के दौरान किसी वाहन द्वारा ले जाए जा रहे माल का एक स्थान पर एक बार भौतिक सत्यापन हो जाने के बाद, राज्य में उक्त वाहन का दोबारा भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर की चोरी से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी इसके बाद उपलब्ध न करायी जाए।

यदि किसी वाहन को तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए रोका और निरूद्ध किया गया है, तो ट्रांसपोर्टर कॉमन पोर्टल पर GST EWB.04 फॉर्म में उक्त जानकारी अपलोड कर सकता है।

मामूली टाइपोग्राफिकल गलतियों के मामले में कोई जब्ती नहीं की जाएगी:

परिपत्र सं. 64/38/2018 GST दिनांक 14.09.2018 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि यदि माल की खेप के साथ इनवॉइस या अन्य कोई विनिर्दिष्ट दस्तावेज और ई–वे बिल भी मौजूद है, तो निम्न परिस्थितियों में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत कार्यवाही न की जाए:

(क) माल भेजने वाले या माल पाने वाले के नाम में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, लेकिन यदि GSTIN, जहां भी लागू हो, सही हो;

(ख) पिन–कोड में त्रुटि लेकिन उल्लिखित प्रेषक और प्रेषिती का पता सही हो, इस शर्त के अधीन कि पिन कोड में त्रुटि के कारण ई–वे बिल की वैधता अवधि न बढ़े;

(ग) प्रेषिती के पते में इसी हद तक त्रुटि कि प्रेषिती का इलाका और अन्य विवरण सही हों;

(घ) ई–वे बिल में उल्लिखित दस्तावेज संख्या के एक या दो अंकों में त्रुटि;

(ङ) एचएसएन के 4 या 6 अंकों के स्तर पर त्रुटि, जहां एचएसएन के पहले 2 अंक सही हों और कर की उल्लिखित दर सही हो;

(च) वाहन संख्या के एक या दो अंकों/अक्षरों में त्रुटि।

इसके अलावा परिपत्र निर्धारित करता है कि उपरोक्त स्थितियों के मामले में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 और संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत प्रत्येक खेप के लिए GST DRC-07 फॉर्म में ₹ 500/– प्रत्येक अधिनियम (आईजीएसटी अधिनियम के तहत ₹ 1,000/–) का जुर्माना लगाया जा सकता है।

21 अगस्त, 2019 को या इसके बाद ई–वे बिल जनरेट किये जाने पर प्रतिबंध:

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138E के अनुसार, किसी भी व्यक्ति (परेषक, परेषिती, ट्रांसपोर्टर, ई–कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर सहित) को एक पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में ई–वे बिल जनरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह ऐसे आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के रूप में हो, जो–

(क) धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाला, या अधिसूचना संख्या 02/2019 केन्द्रीय कर दिनांक 07.03.2019 का लाभ उठाने वाला व्यक्ति होने के नाते, दो लगातार तिमाहियों के लिए GST CMP-08 फॉर्म में विवरण प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) खंड (a) में निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति होने के नाते, दो लगातार कर अवधियों के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है;

(ग) खंड (a) में निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति होने के नाते, किसी भी दो महीने या तिमाहियों, जैसा भी मामला हो, के लिए जावक आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं करता;

(घ) ऐसा व्यक्ति होने के नाते, जिसका पंजीकरण स्थगित कर दिया गया हो।

हालांकि, आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी, रिटर्न/GST PMT-08 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी ई–वे बिल जनरेट करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। पंजीकृत व्यक्ति को GST EWB-05 फॉर्म में आवेदन करना होगा और आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का आदेश GST EWB-06 फॉर्म में जारी किया जाएगा।

रिटर्न न भरने पर ई–वे बिल को ब्लॉक/अनब्लॉक करना:

ई–वे बिल जनरेट करने की सुविधा को ब्लॉक करने का अर्थ है करदाता को ई–वे बिल जनरेट करने में अक्षम करना (सीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 138E)। सीबीआईसी ने अधिसूचना संख्या 15/2021 केन्द्रीय कर दिनांक 18.05.2021 में अधिसूचित किया है कि ई–वे बिल जनरेट करने के संबंध में GSTIN को ब्लॉक किये जाने पर अब केवल चूक करने वाले आपूर्तिकर्ता के GSTIN के संबंध में विचार किया जाएगा, न कि चूक करने वाले प्राप्तकर्ता के GSTIN के संबंध में। इसके अलावा, एक स्थगित GSTIN द्वारा ई–वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकता। हालांकि, प्राप्तकर्ता के रूप में स्थगित GSTIN पर जनरेट किया गया ई–वे बिल प्राप्त किया जा सकता है।

ई–वे बिल जनरेट करने की सुविधा को अनब्लॉक करने का अर्थ है, ऐसे करदाताओं के GSTIN के संबंध में, डिफॉल्ट अवधि(यों) के लिए रिटर्न दाखिल किये जाने की स्थिति में, ई–वे बिल जनरेट करने की सुविधा को बहाल करना। साथ ही, ऐसे करदाता से प्राप्त दस्ती अभ्यावेदन पर विचार किये जाने के उपरांत, क्षेत्राधिकारी अधिकारी द्वारा जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन अनब्लॉकिंग की जा सकती है।

निष्कर्ष:

ई–वे बिल प्रावधानों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में वैट के तहत प्रचलित तत्कालीन वे बिल प्रणाली की खामियों को दूर करना है, जिनका चेक पोस्टों की बाधाओं में प्रमुख योगदान था। इसके अलावा, अलग–अलग राज्यों ने अलग–अलग ई–वे बिल नियम निर्धारित किए थे जिसने अनुपालन को कठिन बना दिया था। जीएसटी के तहत ई–वे बिल प्रावधान एक समान ई–वे बिल नियमावली हैं जो पूरे देश में लागू है। भौतिक इंटरफेस ने डिजिटल इंटरफेस के लिए मार्ग प्रशस्त किया है जो माल की तेज आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। इससे वाहनों के टर्नअराउंड समय में सुधार होगा और यात्रा की औसत दूरी को बढ़ाकर, यह लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए सहायक होगा। इससे यात्रा में लगने वाले समय के साथ–साथ लागत में भी कमी आएगी।